रा.आ.बैंक(न.दि.)/आरओडी/एचएफसी/पुनर्वित्त परिपत्र 01/2018-19
14 अगस्त, 2018

सभी पात्र आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय

पुनर्वित्त परिपत्र सं. 01- पुनर्वित्त सीमा; प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) हेतु पुनर्वित्त के संवितरण हेतु आवेदन में संशोधन एवं आवास वित्त कंपनियों हेतु पुनर्वित्त विवरणियों का संशोधन

अपने व्यापार प्रक्रिया पुनर्रचना रणनीति का एक भाग के रूप में, यह हमारा प्रयास है कि पुनर्वित्त सीमा, प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को संवितरण हेतु आवेदन को नया स्वरूप प्रदान करें एवं उपयोग तथा अंतरसंचालनीयता को आसान बनाने हेतु आवास वित्त कंपनियों हेतु संशोधित पुनर्वित्त विवरणियों निर्धारित करें। हमने पूर्व के वर्ड/पीडीएफ प्रारूप से प्रापत्रों/विवरणियों का संशोधन कर इन्हें स्प्रैडशीट आधारित डाटाबेस प्रारूपों में परिवर्तित कर दिया है।

2. आ.वि.कं. हेतु पुनर्वित्त सीमा अर्थात एनएचबी-एचएफसी-01, पुनर्वित्त विवरणियां अर्थात एनएचबी-एचएफसी 04 (तिमाही विवरणी) एवं एनएचबी-एचएफसी 08 (वार्षिक विवरणी) हेतु आवेदन को अधिक सूचना शामिल करने हेतु विस्तृत किया गया है। लाभार्थियों के वर्गीकरण हेतु वार्षिक विवरणी शीर्ष वाले पुनर्वित्त विवरणी एनएचबी-एचएफसी 09 को हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने एवं नीति निर्णयों के इनपुट हेतु पुनर्वित्त दावा में शामिल ऋणों के लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्रेक-अप को शामिल करने हेतु पेश किया गया है।

3. नए प्रारूप में, एक्सल शीट्स में सेल फॉर्मूला एवं अन्य लिंक के साथ पूर्व स्वरूपित हैं और वर्तमान में उपयोगकर्ताओं को लचीलापन प्रदान करने हेतु लॉक नहीं किया गया है। रिपोर्टिंग एवं सिस्टम पठनीयता में एकरूपता को बनाए रखने हेतु बिना किसी बदलाव के प्रारूप को पालन करने की सलाह दी जाती है।

4. हम इस प्रयास में आपके सहयोग की मांग करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आपके संस्थान हेतु प्राधिकृत एवं चिन्हित आधिकारिक ईमेल आईडी से इस उद्देश्य हेतु खासतौर पर तैयार समर्पित ईमेल आईडी **roddmc@nhb.org.in** पर अन्य इलेक्ट्रॉनिक संलग्न फाइलों के साथ भरी हुई वर्कबुक की साफ्ट प्रति भेजे। तत्पश्चात, प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं मुहर के बाद वर्कबुक (प्रपत्र/विवरणी) की मुद्रित प्रति पुनर्वित्त परिचालन विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, चौथी मंजिल, कोर 5ए, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 पर भेजने का कष्ट करें।

5. आशा है कि इससे पहले कि हम वेब आधारित आवेदन की ओर बढ़ सकें, यह आ.वि.कं. को रा.आ.बैंक को पुनर्वित्त प्रपत्र/विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करने को सुगम बनाएगा।

6. कृपया इस विषय पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,
वैराजन
(वै.राजन)
महाप्रबंधक